



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01022022-233050
CG-DL-E-01022022-233050

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 85]
No. 85]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 1, 2022/माघ 12, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 1, 2022/ MAGHA 12, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2022

सं. 11/2022—सीमाशुल्क

सा.का.नि. 85(अ).—केंद्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में यथा विनिर्दिष्ट और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय या शीर्ष या उपशीर्ष या टैरिफ मद के अधीन आने वाले वर्णित माल को जो उक्त सारणी के स्तंभ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित किए गए हैं, जब वह भारत में आयात किए जाते हैं, उक्त प्रथम अनुसूची के अधीन उस पर उद्बहणीय उतने सीमाशुल्क से जितना उक्त सारणी के स्तंभ (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट मानक दर पर संगणित रकम से अधिक है, इस अधिसूचना के उपाबंध में यथा विनिर्दिष्ट किन्ही शर्तों के अध्याधीन, उस शर्त संख्या को जो उक्त सारणी के स्तंभ (5) में तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित है, छूट देती है।

सारणी

क्र.सं.	अध्याय या शीर्ष या उपशीर्ष या टैरिफ मद	माल का विवरण	मानक दर	शर्त सं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	8501	कलाई पर पहने योग्य युक्ति (जो सामान्यतः स्मार्ट घड़ी के रूप में जानी जाती है) के विनिर्माण में उपयोग के लिए कंपन मोटर।	10%	1 और 2
2.	कोई अध्याय	क्र. सं. 1 में उल्लिखित मदों के विनिर्माण में उपयोग के लिए इनपुट या पुर्जे या उप-पुर्जे।	शून्य	1 और 2
3.	8507 60 00/ 8507 80 00	कलाई पर पहने योग्य युक्ति (जो सामान्यतः स्मार्ट घड़ी के रूप में जानी जाती है) के विनिर्माण में उपयोग के लिए बैटरी।	शून्य	1 और 3
			5%	1 और 4
			10%	1 और 5
			15%	1 और 6
4.	कोई अध्याय	क्र. सं. 3 में उल्लिखित मदों के विनिर्माण में उपयोग के लिए इनपुट या पुर्जे या उप-पुर्जे।	शून्य	1 और 2
5.	8517 79 10	कलाई पर पहने योग्य युक्ति (जो सामान्यतः स्मार्ट घड़ी के रूप में जानी जाती है) के विनिर्माण में उपयोग के लिए प्रिंटेड सर्किट बोर्ड समुच्चय (पीसीबीए)।	शून्य	1 और 3
			10%	1 और 4
			15%	1 और 5
			15%	1 और 6
6.	कोई अध्याय	क्र. सं. 5 में उल्लिखित मदों के विनिर्माण में उपयोग के लिए इनपुट या पुर्जे या उप-पुर्जे।	शून्य	1 और 2
7.	8517 79 90	कलाई पर पहने योग्य युक्ति (जो सामान्यतः स्मार्ट घड़ी के रूप में जानी जाती है) के विनिर्माण में उपयोग के लिए प्रदर्श समुच्चय।	शून्य	1 और 3
			शून्य	1 और 4
			5%	1 और 5
			10%	1 और 6
8.	कोई अध्याय	क्र. सं. 7 में उल्लिखित मदों के विनिर्माण में उपयोग के लिए इनपुट या पुर्जे या उप-पुर्जे।	शून्य	1 और 2
9.	8544	कलाई पर पहने योग्य युक्ति (जो सामान्यतः स्मार्ट घड़ी के रूप में जानी जाती है) के लिए चार्जिंग केबल। स्पष्टीकरण : इस प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए कलाई पर पहने जाने वाले युक्ति के लिए चार्जिंग केबल, यूएसबी केबल प्रयुक्त अंतर्विष्ट चुंबकीय संयोजित्र केवल कलाई पर पहने जाने योग्य युक्ति के चार्जिंग के लिए अनन्यतः अभिप्रेत है।	शून्य	1 और 3
			5%	1 और 4
			10%	1 और 5
			15%	1 और 6
10.	कोई अध्याय	क्र. सं. 9 में उल्लिखित मदों के विनिर्माण में उपयोग के लिए इनपुट या पुर्जे या उप-पुर्जे।	शून्य	1 और 2

11.	39, 73, 85	कलाई पर पहने योग्य युक्ति (जो सामान्यतः स्मार्ट घड़ी के रूप में जानी जाती है) के निम्नलिखित भाग, घटक और उपसाधन, अर्थात्: - (i) घड़ी डायल अग्र पैनल (ii) घड़ी डायल पश्च पैनल (iii) कुंजी (कक्षिका भाग) (iv) कुंजी ताला (कक्षिका भाग) (v) स्ट्रैप लॉन्ग साइड (सिलिकॉन या अन्य) सामग्री (ओं) समायोज्य स्ट्रैप) (vi) स्ट्रैप शॉर्ट साइड (सिलिकॉन या अन्य) सामग्री (ओं) अंतर्बन्धन स्ट्रैप) (vii) स्ट्रैप कीपर (viii) अंतर्बन्धन हुक (ix) बक्कल (x) बक्कल के लिए संपर्क छड़ (xi) बक्कल के लिए संपर्क छड़ (xii) काले कपड़े का टेप (xiii) चालक टेप (xiv) बायो सेंसर के लिए दोहरी सतह फोम टेप (xv) पेंच।	शून्य	1 और 3
			5%	1 और 4
			10%	1 और 5
			15%	1 और 6
12.	कोई अध्याय	क्र. सं. 11 में उल्लिखित मदों के विनिर्माण में उपयोग के लिए इनपुट या पुर्जे या उप-पुर्जे।	शून्य	1 और 2

उपाबंध

शर्त सं.	शर्तें
1.	यदि आयातक सीमाशुल्क (शुल्क की रियायती दर पर माल का आयात) नियम, 2017 में निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करता है।
2.	तारीख 1 अप्रैल, 2022 से विधिमान्य
3.	तारीख 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक विधिमान्य
4.	तारीख 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक विधिमान्य
5.	तारीख 1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक विधिमान्य
6.	तारीख 1 अप्रैल, 2025 से विधिमान्य

2. यह अधिसूचना 2 फरवरी, 2022 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 334/01/2022-टीआरयू]

नितिश कर्नाटक, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2022

No. 11/2022-Customs

G.S.R. 85(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods of the description as specified in column (3) of the Table below and falling within the Chapter or heading or sub-heading or tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) as are specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, when imported into India, from so much of the duty of customs leviable thereon under the said First Schedule as is in excess of the amount calculated at the standard rate as specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table, subject to any of the conditions as specified in the Annexure to this notification, the Condition No. of which is mentioned in the corresponding entries in column (5) of the said Table.

TABLE

S.No.	Chapter or heading or sub-heading or tariff item	Description of goods	Standard rate	Condition No.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	8501	Vibrator motor for use in manufacture of wrist wearable devices (commonly known as smart watches).	10%	1 and 2
2.	Any Chapter	Inputs or parts or sub-parts for use in manufacture of items mentioned at S. No. 1.	Nil	1 and 2
3.	8507 60 00/ 8507 80 00	Battery for use in manufacture of wrist wearable devices (commonly known as smart watches).	Nil	1 and 3
			5%	1 and 4
			10%	1 and 5
			15%	1 and 6
4.	Any Chapter	Inputs or parts or sub-parts for use in manufacture of items mentioned at S. No. 3.	Nil	1 and 2
5.	8517 79 10	Printed Circuit Board Assembly (PCBA) for use in manufacture of wrist wearable devices (commonly known as smart watches).	Nil	1 and 3
			10%	1 and 4
			15%	1 and 5
			15%	1 and 6
6.	Any Chapter	Inputs or parts or sub-parts for use in manufacture of items mentioned at S. No. 5.	Nil	1 and 2
7.	8517 79 90	Display assembly for use in manufacture of wrist wearable devices (commonly known as smart watches).	Nil	1 and 3
			Nil	1 and 4
			5%	1 and 5
			10%	1 and 6
8.	Any Chapter	Inputs or parts or sub-parts for use in manufacture of items mentioned at S. No. 7.	Nil	1 and 2
9.	8544	Charging cable for wrist wearable devices (commonly known as smart watches)	Nil	1 and 3
			5%	1 and 4
			10%	1 and 5
			15%	1 and 6

Explanation - For the purposes of this entry, charging cable for wrist wearable devices means

		a USB cable containing magnetic connector exclusively used for charging of wrist wearable devices.		
10.	Any Chapter	Inputs or parts or sub-parts for use in manufacture of items mentioned at S. No. 9.	Nil	1 and 2
11.	39, 73, 85	The following parts, components and accessories of wrist wearable devices (commonly known as smart watches), namely: - (i) Watch dial front panel (ii) Watch dial back panel (iii) Key (housing part) (iv) Key lock (housing part) (v) Strap long side (silicone or other material(s) adjustable strap) (vi) Strap short side (silicone or other material(s) locking strap) (vii) Strap keeper (viii) Locking hook (ix) Buckle (x) Link rod for buckle (xi) Link rod for strap (xii) Black clothing tape (xiii) Conductive tape (xiv) Double sided foam tape for bio sensor (xv) Screws.	Nil	1 and 3
			5%	1 and 4
			10%	1 and 5
			15%	1 and 6
12.	Any Chapter	Inputs or parts or sub-parts for use in manufacture of items mentioned at S. No. 11.	Nil	1 and 2

ANNEXURE

Condition No.	Conditions
1.	If the importer follows the procedure specified in the Customs (Import of Goods at Concessional Rate of Duty) Rules, 2017.
2.	Valid from 1 st April, 2022 onwards.
3.	Valid from 1 st April, 2022 upto 31 st March, 2023.
4.	Valid from 1 st April, 2023 upto 31 st March, 2024.
5.	Valid from 1 st April, 2024 upto 31 st March, 2025.
6.	Valid from 1 st April, 2025 onwards.

2. This notification shall come into force on the 2nd day of February, 2022.

[F. No. 334/01/2022-TRU]

NITISH KARNATAK, Under Secy.